स्मरण पत्र – प्रथम

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–राजपत्रित/डीपीसी/एसीआर/2018/34 दिनांक 5/18

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजस्थान।
समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
समस्त अधीक्षक, संबद्ध चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

विषयः– चिकित्सकों के बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भिजवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के संदर्भ में आंकर्षित कर लेख है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त चिकित्सकों/अधिकारियों के बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी की टिप्पणी उपरान्त तुरन्त इस निदेशालय को भिजवाये। लेकिन निदेशालय में संधारित अभिलेख अनुसार अभी भी काफी चिकित्सकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अप्राप्त है, जिसके फलस्वरूप पदोन्नति हेतु पात्र चिकित्सकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन विभागीय पदोन्नति समिति/डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पदोन्नतियां डेफर करनी पड़ रही है, यह स्थिति कार्मिक विभाग के निर्देशों के विपरीत है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त चिकित्सकों की जिम्मेदारी है कि वे अपना वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अपने प्रतिवेदक अधिकारी को वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। इसके साथ ही प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी का भी दायित्व है कि एसीआर पूर्ण रूप से भरकर निदेशालय को अविलम्ब भिजवाये, लेकिन कतिपय चिकित्सकों द्वारा उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं किये जा रहे है। कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग के परिपत्र दिनांक 05.06.2008 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार यदि प्रतिवेदित अधिकारी प्रत्येक वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग–प्रथम की पूर्ति कर अप्रैल माह के अंत तक प्रस्तुत नहीं करता है तो प्रतिवेदक अधिकारी भाग–प्रथम की पूर्ति कार्यालय से कराई जाकर इस आशय की टिप्पणी के साथ कि प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग–प्रथम की पूर्ति कर प्रस्तुत नहीं की गई है, भाग–द्वितीय की पूर्ति कर भाग–तृतीय समीक्षक अधिकारी को दिनांक 31 मई तक प्रस्तुत करें एवं समीक्षक अधिकारी अपनी टिप्पणी के साथ स्वीकारकर्ता अधिकारी को 30 जून तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दें। लेकिन उक्त प्रावधानों के बावजूद भी प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी द्वारा समय पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की जाती है। **ऐसी स्थिति में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अभाव में 01.04.2018 को डीएसीपी स्कीम के तहत होने वाली पदोन्नति से वंचित रहने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित नियंत्रण अधिकारी एवं चिकित्सक की स्वयं की होगी।**

उक्त स्थिति को प्रमुख शासन सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

अतः आपके अधीनस्थ कार्यरत चिकित्सकों के समस्त बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 7 दिवस में आवश्यक रूप से प्राप्त कर प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी की टिप्पणी सहित इस निदेशालय को शीघ्रातिशीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। जिन चिकित्सकों ने अपनी बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं की है, उन्हें 3 दिवस में नोटिस जारी करें तथा उक्त निर्देशों की पालना कड़ाई से सुनिश्चित की जावें अन्यथा दोषी **अधिकारियों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की अवहेलना में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।**

(डॉ. वी.के. माथुर)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–राजपत्रित/डीपीसी/एसीआर/2018/ 34 दिनांक 5-1-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक (आरसीएच/एड्स/ईएसआई), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को भेजकर लेख है कि यदि चिकित्सकों द्वारा बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आप अपने स्तर से इस आशय की टिप्पणी के साथ कि ''प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग–प्रथम की पूर्ति कर प्रस्तुत नहीं की गई'' करके निदेशालय को भिजवाने का श्रम करावें।
7. समस्त चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अपने प्रतिवेदक अधिकारी को 3 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर इसकी सूचना निदेशक (जन स्वास्थ्य) को आवश्यक रूप से भिजवायें, अन्यथा निर्देशों की अवहेलना में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
8. प्रभारी, सर्वरी रूम, मुख्यालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित अधिकारियों को ई–मेल द्वारा भिजवाये जाने हेतु।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर